(549)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03/अ-3-04/2002 /खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बाँका ।

विषयः- प्रखंड आपूर्ति कार्यों के अस्थायी प्रभार के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 520 दिनांक- 15.03.2005 एवं 5175 दिनांक- 31.08.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिन प्रखंडों में आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं, उन प्रखंडों में आपूर्ति कार्य का अस्थायी प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी दिये जाने हेतु निर्दिष्ट है । उक्त प्रखंड में आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियमित पदस्थापना होने के पश्चात् अस्थायी प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा । रिक्त प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आपूर्ति कार्य का अस्थायी प्रभार देने हेतु विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः- यथोक्त ।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- प्र03/अ-3-04/2002 186 /खाद्य, पटना/दिनांक- 12.01.2011

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/1/2011

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\sec-3\Vividh-Sec-3.doc